

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/09/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 28.08.2024

शुद्धिपत्र अधिसूचना

मामला संख्या- एडी (ओआई)- 08/2024

विषय: चीन जन.गण. और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 6/09/2024-डीजीटीआर समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी इसके द्वारा अधिसूचना संख्या 6/09/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 द्वारा जारी की गई प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार करता है विषय उत्पाद " प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों" पर शुरु की गई पाटनरोधी जांच का सम्मान।

में **अनुच्छेद 5** उक्त अधिसूचना के खंड को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"5. विषय वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के तहत उप-शीर्षक 84771000 और 84779000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।



(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी